

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1534
TO BE ANSWERED ON 12.02.2026**

PENSION REFORMS

**1534. SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE:
SHRI NARESH BANSAL:**

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

- (a) the status of proposal to revise the minimum EPS-95 pension to ₹7,500 per month;**
- (b) how Aadhaar-based Face Authentication is being promoted for Digital Life Certificates;**
- (c) whether pensioner record updation has been simplified; and**
- (d) whether the rules introduced in 2025 allows EPFO members to draw pension commencing from the age of fifty years?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a): Employees' Pension Scheme, 1995 is a 'Defined Contribution-Defined Benefit' Social Security Scheme. The corpus of the Employees' Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) 1.16% contribution from Central Government on wages upto Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of EPS, 1995.

The Government is providing a minimum pension of Rs.1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees' Provident Fund Organization (EPFO).

The Government of India is committed to provide robust social security coverage through EPF Scheme, 1952, EPS-95 and EDLI Schemes being run by EPFO, to the members of these schemes, taking into consideration the sustainability of the respective funds as well as the future liabilities thereon.

(b): (i) Employees' Provident Fund Organization (EPFO) has entered into an MoU with India Post Payments Bank (IPPB) to provide free doorstep Aadhar based Digital Life Certificate (DLC) services to EPS-95 pensioners who are unable to submit DLC using smartphones or visit banks/EPFO offices. Standard Operating Procedures (SOPs) have been issued to field offices for implementation.

(ii) Instructions have been issued to all field offices to popularize Aadhaar-based Face Authentication for DLC submission through facilitation at offices and outreach programmes, including Nidhi Aapke Nikat 2.0, being conducted every month across all districts since January 2023.

(iii) Videos explaining benefits of Aadhaar-based Face Authentication for DLC are posted in various social media platforms like YouTube, Twitter(X), Facebook, Instagram etc.

(c): Pensioners records are maintained digitally and PPOs are also issued digitally which can be accessed through UMANG app. With introduction of Centralized Pension Payment System (CPPS), pensioners do not need to physically visit banks to submit any record for starting pension. Thus pension payment commences immediately when PPO is issued.

Pensioners can submit life certificates digitally using UMANG app or Jeevan Pramaan app.

(d): No such rule has been introduced in 2025.

However, as per para 12(7) of the Employees' Pension Scheme 1995, a member, upon exit from employment and having rendered eligible service for pension, can draw an early pension from the age of 50 years. In such cases, the amount of pension is reduced at the rate of four per cent, for every year, the age falls short of 58 years.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1534
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

पेंशन सुधार

1534 श्री सदानंद महालू शेट तानवडे:

श्री नरेश बंसल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) न्यूनतम ईपीएस-95 पेंशन को संशोधित कर 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है;
- (ख) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के लिए आधार-आधारित चेहरे की पहचान प्रमाणीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है;
- (ग) क्या पेंशनभोगी अभिलेख को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है; और
- (घ) क्या वर्ष 2025 में लागू किए गए नियम ईपीएफओ सदस्यों को 50 वर्ष की आयु से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारियों के पेंशन फंड की धनराशि (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान; और (ii) प्रति माह वेतन 15,000/- रुपये तक के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 1.16% के अंशदान से बनी होती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचय से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अधिदेश के अनुसार इस फंड का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है।

सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

भारत सरकार ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ योजना, 1952, ईपीएस-95 और ईडीएलआई योजनाओं के माध्यम से संबंधित निधियों की स्थिरता के साथ-साथ भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं से जुड़े सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ख): (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि ऐसे ईपीएस -95 पेंशनभोगी जो स्मार्टफोन का उपयोग करके डीएलसी जमा करने में असमर्थ हैं या बैंकों/ईपीएफओ कार्यालयों में जाने में असमर्थ हैं, उनको मुफ्त डोरस्टेप आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है।

(ii) जनवरी 2023 से सभी जिलों में प्रत्येक माह आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट 2.0 सहित कार्यालयों और आउटरीच कार्यक्रमों में सुविधा के माध्यम से डीएलसी जमा करने के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

(iii) डीएलसी के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के लाभों को समझाने वाले वीडियो यूट्यूब, ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए हैं।

(ग): पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से बनाए रखा जाता है और पीपीओ भी डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं जिन्हें उमंग ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की शुरुआत के साथ, पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू करने के लिए कोई रिकॉर्ड जमा करने के लिए स्वयं बैंकों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पीपीओ जारी होने पर पेंशन भुगतान तुरंत शुरू हो जाता है।

पेंशनभोगी उमंग ऐप या जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करके डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं।

(घ): 2025 में ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हालाँकि, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 12(7) के अनुसार, कोई सदस्य, रोजगार से निकलने पर और पेंशन के लिए पात्र सेवाएँ प्रदान करने के बाद, 50 वर्ष की आयु से पूर्व पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में, पेंशन की राशि 58 वर्ष से कम आयु के हर वर्ष के लिए चार प्रतिशत की दर से कम कर दी जाती है।